न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 14/2022, जिला सीकर

1. शौकत अली पुत्र फुले खॉ
2. महमुद खां पुत्र सबदल खां
3. मोहम्मद अयुब पुत्र यासीन खां
   समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासीयान किरडोली तहसील धोंद जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. दिलशाद पुत्र स्व0 मुस्ताक अली जाति मुसलमान कायमखानी निवासी किरडोली तहसील धोंद जिला सीकर।
2. तहसीलदार तहसील धोंद जिला सीकर।
3. दिलशाद पुत्र नसीरूदीन खां जाति मुसलमान निवासी किरडोली तहसील धोंद जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

4. सरताज अली पुत्र मुनीम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी किरडोली तहसील धोंद जिला सीकर।

—प्रफोर्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा अति0 जिला कलक्टर सीकर जिला सीकर दिनांक 26.11.2021

उपस्थित—

1. श्री कैलाश चन्द पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.के.यादव वकील रेस्पोडेण्ट नं 1 व 3 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —14.12.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 26.11.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 दिलशाद पुत्र स्व0 मुस्ताक अली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सीकर के समक्ष खसरा नं. 74/1162 रकबा 1.04 है0, खसरा नं. 169 रकबा 1.33 है0, खसरा नं. 170 रकबा 0.77 है0, खसरा नं. 171 रकबा 0.75 है0, खसरा नं. 172 रकबा 2.28 है0, खसरा नं. 173 रकबा 1.35 है0, खसरा नं. 174 रकबा 0.80 है0, खसरा नं. 176 रकबा 2.2400 है0, खसरा नं. 409 रकबा 0.6800 है0, खसरा नं. 412 रकबा 0.45 है0, खसरा नं. 413 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम किरडोली तहसील धोंद जिला सीकर में स्थित विवादित कृषि भूमि का तहसीलदार धोंद द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1941 दिनांक 30.07.2020 को गलत बताते हुये निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अति0 जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 26.11.2021 को नामान्तरकरण संख्या 1941 को निरस्त कर तहसीलदार धोंद को प्रतिप्रेषित किया की प्रकरण के संबंध में विवादित आराजी के कब्जे व मौके की जॉच कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 26.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट शौकत अली पुत्र फुले खां द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

26.11.2021 को निरस्त किये जाने व नामा0 संख्या 1941 दिनांक 30.07.2020 बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट्स सद्भावी क्रेता है तथा उनके द्वारा आयशा पुत्री शहबाज जो कि उक्त भूमि की 1/5 हिस्से की खातेदारी काश्तकार थी, उससे उचित प्रतिफल राशि अदा कर रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है एवं सहायक कलक्टर द्वितिय, सीकर के आदेश दिनांक 20.02.2020 की पालना में उक्त विक्रय पत्र शुदा भूमि का नामान्तरकरण पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.07.2020 को तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में उप पंजीयक धोंद को पक्षकार बना रखा है किन्तु निर्णय दिनांक 26.11.2021 में उप पंजीयक धोंद का कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 03.12.1995 के विरूद्व अपील का उल्लेख किया है किन्तु नामान्तरकरण संख्या 1941 दिनांक 30.07.2020 को खारिज करने बाबत् आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर द्वितिय के आदेश पर गौर किये बिना एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर, सीकर दिनांक 26.11.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी व उसके भाई पूर्वजों के समय से ही काविज काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमियों में 1/5 हिस्सा आयशा पुत्री सहवाज खां का विरासत के आधार पर चला आ रहा था जो कि सन् 1976 में रेस्पोडेण्ट्स के दादा व उनके भाइयों के नाम कर दी गई। परन्तु मु0 आयशा पुत्री शहबाज ने गलत खातेदारी के आधार पर अपीलांट्स के नाम एक नुमाईशी विक्रय पत्र बनवाकर एक दावा सहायक कलक्टर द्वितिय सीकर के पेश कर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण संख्या 1941 दिनांक 30.07.2020 तस्दीक करने के आदेश पारित करवा लिये। तहसीलदार धोंद द्वारा नोटिस व सुनवाई का अवसर व मौके पर कब्जे काश्त की जॉच किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 1941 स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों व मौके पर कब्जे की जॉच पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार धोंद को विवादित अराजीयात के कब्जे व माके के संबंध में जॉच पश्चात् ही पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से जाहिर होता है कि पक्षकारान् के मध्य विवाद विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को लेकर है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट्स सद्भावी क्रेता है तथा उनके द्वारा आयशा पुत्री शहबाज जो कि उक्त भूमि की 1/5 हिस्से की खातेदारी रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के माध्यम

Scanned with OKEN Scanner

से क्रय की है एवं सहायक कलक्टर द्वितिय, सीकर के आदेश दिनांक 20.02.2020 की पालना में उक्त विक्रय पत्र शुदा भूमि का नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.07.2020 को तस्दीक किया गया है जबकि रेस्पोडेण्ट का कथन है कि सन् 1976 में उक्त भूमि का 1/5 हिस्सा रेस्पोडेण्ट्स के दादा व उनके भाइयों के नाम कर दी गई एवं सहायक कलक्टर द्वितिय सीकर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण संख्या 1941 दिनांक 30.07.2020 तस्दीक करने के आदेश पारित किया है। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर के न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र अनुवानी गन्नी खॉ बनाम बशीर खॉ प्रकरण संख्या 86/2015 में दिनांक 01.09.2015 को विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत् राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु स्थगन आदेश पारित किया हुआ है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने के संबंध में सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर के न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2020 को जो आदेश जारी किया गया है उसका आदेशिका में कहीं अंकन नहीं है तथा दिनांक 03.12.2019 को कार्यवाही स्थगित किये जाने के उपरान्त दिनांक 18.09.2020 को पुनः पेशी में लिया गया है जबकि नामान्तरकरण आदेश दिनांक 20.02.2020 को जारी किया गया है एवं दिनांक 23.09.2020 को प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया गया है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 26.11.2021 को नामान्तरकरण संख्या 1941 को निरस्त कर तहसीलदार धोंद को प्रतिप्रेषित कर प्रकरण के संबंध में जॉच कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्यक् है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अत आदेश है किः– अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर सीकर दिनांक 26.11.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner